पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मय वकील
उपस्थित। पक्षीयों के अ०उ०। पत्रावली का
अवलोकन किया गया। प्रकरण संक्षेप में इस
प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय
दिनांक 26.10.17 के विरुद्ध अपीलार्थी रामकुमार
पु० बिरमा राम जाति जाट निवासी [illegible]

तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज०) द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला कलेक्टर की अपील संख्या 3/18 अपील स्वीकार कर दिनांक 5.2.18 को निर्णय पारित कर प्रमाण निर्णय कर इस आशय से पेश किया कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.10.17 खारिज किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार उदयपुरवाटी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वाद ग्रस्त खाते के संबंध में स्वयं मौका निरीक्षण कर अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत पेश करने हेतु समुचित अवसर प्रदान करें तथा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्पूर्ण तथ्यों की विवेचना करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण प्रमाण रा० भू० रा० अधि 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को कि । नोटिस जारी किया गया तथा भू. अ. निरीक्षक गुढ़ागौड़जी को वर्तमान मौका जांच वास्तुस्थिति की रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया। नोटिस बाद तामिल शामिल मिसल रखा गया।

नोटिस की तामिल संबंध की होने पर नियत तिथि को राजकुमार पाल वकील उप० हुए तथा एडवोकेट रूपचन्द ने अपना वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली रखा गया। अतिक्रमी वकील वाले साक्ष्य प्रस्तुत पेश करने हेतु बार-बार अवसर चाहे

के उपरान्त भी कोई साक्ष्य सबूत इत्यादि पेश नहीं किये गये। तथा लगातार कई पेशियों पर अनु० रहने पर जवाब बंद कर आदेश मौका जांच हेतु पत्रावली को रखा गया। श्र. अभिलेख निरीक्षक गुन्नागोंडी के वर्तमान मौका जांच की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई। जांच अनुसार ग्राम निगोर के खाते ख० न० 3981 मे रकबा 0.03 हैक्टर भूमि पर पुख्ता कुंडा बनाकर रामकुमार पुत्र बिरमा रामगार के ने अतिक्रमण कर रखा है। तथा उक्त अतिक्रमण आज दिनांक तक यथावत है। जांच शामिल पत्रावली रखी गई।

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज एवं पत्रावली देखा। श्र. अ. निरीक्षक की वर्तमान मौका जांच वस्तुस्थिति की रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम निगोर की भूमि ख० न० 3981। कुल रकबा 1.83 किस्म गै० मु० जोहड़ मे से रकबा 0.03 हैं. पर किये गये अतिक्रमण की मौका जांच की गई। मौके पर उक्त भूमि गै०मु० जोहड़ दर्ज रिकार्ड है। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण अवैध एवं नियमों के विरुद्ध होने के कारण नियमन की तारीख के नहीं आता है चूंकि अतिक्रमी ने अपने पक्ष मे कोई ऐसा ठोस साक्ष्य सबूत इत्यादि पेश नहीं किये। इससे सिद्ध होता है कि प्रार्थी को अतिक्रमण स्वीकार है। अतः अतिक्रमी रा० भू० रा० अधि० 1956 की धारा 91 के तहत संवत 2074-75 के लिए

P.T.O.3

अतिक्रमी घोषित किया जाता है। तथा गैर बदल
पटवारी हल्का की रिपोर्ट के बेदखल किये
जाने के आदेश दिये जाते है। दण्डस्वरूप
पत्रावली के पूर्व के कम्प्यूटरी से प्रति है
जिसकी मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार
को करवाई जा चुकी है। पटवारी हल्का/रा.
अभिलेख निरीक्षक को मौके पर अतिक्रमी
बेदखल कर बेदखली प्रस्तुत करने हेतु लिखा
जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.4.19 को मेरे द्वारा लिखाकर
जारी खुले न्यायालय मे सुनाया गया।